



३०६१

दूरध्वाप - 2288709
2288710

गव. घेतना छेन्ड, 10 लक्ष्मी नगर, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 2196 / 05 / 76 / एक / 2015-16
सेवा में

दिनांक : 25 अगस्त 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-मुरादाबाद।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (हूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मलिन वसितियों में स्वीकृत परियोजनाओं की घनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मलिन वसितियों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार घनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

घनराशि का प्रेषण (लाख रु ० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएसी कोड	घनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0327000100168248	IFSC Code PUNB0032700	22.118

(घनराशि लाख रु ० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / गलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय लिस्ट की धनराशि का प्रेषण
1	मुरादाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०५० काठ	गौ० चौक बाजार वार्ड सं० ०७ कल्याण के घर से नईम अहमद जाफिर के घर वाया कल्पितान मुस्ताकिम तक व सी०सी० रोड से अल्टर हुसैन के मकान तक उसमान के घर से यासीन के घर तक, अल्लादिया सिद्दीकी के घर से हाजी असलम के घर तक, असलम के घर से भोखा व अतीकुरुद्दीन के घर से हारुन के मकान तक एवं विभिन्न गलियों में इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण।	9.413
2	मुरादाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०५० उमरीकला०	ग०० आविदपुर वार्ड सं० ०३ में डामर रोड से हनीफ अन्सारी के मकान तक एवं म०० आविदपुरा वार्ड सं० ०३ में नासिर के मकान से बरनीर तक शरीफ की गली, मुलना जी की गली व रियाजुद्दीन के मकान से जहांगीर के मकान तक इंटरलाकिंग टाईल रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	12.705
	योग				22.118

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मलिन वसितियों में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत ढी०सी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात पोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जायें।

- १- च००० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुलय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मलिन वसितियों में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत ढी०सी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात पोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जायें।
- २- रस्तानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा देकाअप न कर लिया जाये।
- ३- प्रश्नगत परियोजना में प्रत्यागति कार्य आरम्भ करने से पूर्ण परियोजना पर साधाम स्तर पर तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तात्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- ४- अपमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह रुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनानार्त कार्य हेतु पूर्ण में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य फिरी अन्य कार्य योजना में सम्भालित है जिससे कि शारकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की रिपोर्ट में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



३०६२

दस्तावेज़ - 2286708

2286710

नव चैतना कंप्ल., 10 अशोक नगर, लखनऊ 220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय पिधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यवहारित व्यवहारित कार्य के सुरांगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त रामय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की राहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि सूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवचनों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कराया जायेगा। इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में मुगातान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटीती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवचनों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमत्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्षम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आवश्यन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमत्य सेन्ट्रेज की धनराशि एवं गुणवत्ताप्रक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यवहारित की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(बाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक(बाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निर्माणित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधिकारी अभियन्ता—सूडा
4. कम्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।